न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 108/2004

रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति मेहर निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां
..... वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
....प्रतिवादी

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
दायरा दिनांक: 02.04.2004
निर्णय दिनांक : 11.09.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी भूमिहीन गरीब काश्तकार ग्राम पाडलिया का है जिसे दिनांक 11.06.1981 मुकाम हिंगोनिया पर आवंटन सलाहकार समिति ने वादी के नाम खसरा नं0 483 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा खसरा नं0 473 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं0 463/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि आवंटन कर राशि 6 हजार 12 रूपये कायम की गई। तथा तारीख 09.06.1989 को मुताबिक दखलनामा कब्जा वादी को संभला दिया। इससे पूर्व वादी के बराबर किश्त जमा करा दी जो जर्ये रसीद नं0 768001 ये रकम एक हजार रूपया 0.3576 से 4012 रू0 दिनांक 11.06.1981 कुल 5012 रू0 जमा करवा दिये तब से वादी भूमिया काबिज काश्त है। वादी को एलोटमेंट शुदा भूमि खसरा नं0 473 नवीन खसरा नं0 798 रकबा 0.55 खसरा नं0 473/2 का नवीन खसरा नं0 806 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 483 के नवीन खसरा नं0 723 कायम किये है। जिस पर वादी पूर्ववत काबज काश्त है एवं काश्तकारी करता रहता है। दौराने सेटलमेंट प्रतिवादी ने वादी के एलोट शुदा नम्बारान को सिवायचक दर्ज कर दिया तथा वादी को अपनी खरीद शुदा भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर रखा है। तथा वादी को कानूनी अडचनो से अशिक्षित होने के कारण आज तक जुर्माना जमा करवाता रहा है। वादी सन 1981 से भूमि पर काबिज काश्त है तथा कब्जे के आधार पर ओर वादी चूकि ऐलोटमेंट की चूकती रकम जमा राज करवा चुका है। इस कारण वादी उक्त विवादित भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि सादर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी करे कि वादी को एलोटमेंट दिनांक 11.06.1981 दखलनामा दिनांक 09.06.1989 के आधार पर

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

खसरा नं0 798 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 806 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 723 रकबा 1.31 है0 पर खातेदार कृषक घोषित कर नाम दर्ज फरमाया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रेकार्ड का परिक्षण किया गया। वादी रामेश्वर ने न्यायालय से इस आशय की डिक्री जारी करने का निवेदन किया कि न्यायालय उसको दखलनामा दिनांक 09.06.1989 के आधार पर खसरा नं0 798 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 806 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 723 रकबा 1.31 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाये। पत्रावली के अवलोकन व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी खसरा नं0 723 रकबा 1.31 है0 की खातेदारी चाह रहा है जो उसके द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नं0 278 मी0 से बना जो कभी वादी को आवंटन ही नही हुआ। जो भूमि कभी वादी को आवंटित ही नही हुई उसका वादी को खातेदार घोषित नही किया जा सकता। तहसीलदार ने खसरा नं0 798 रकबा 0.50 है0 पर गैर खातेदारी दर्ज की जा सकने की रिपोर्ट की किन्तु उसके साथ साक्ष्य स्वरूप किसी राजस्व रेकार्ड की नकले प्रस्तुत नही की। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त मैं इस निर्णय पर पहुचा हूं कि वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है। वाद के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार मांगरोल को निर्देश दिये जाते है कि वो वादी को दिनांक 11.06.1981 को आवंटित भूमि के समस्त पत्रादि का परिक्षण कर नियमो के तहत आवंटित भूमि की रेकार्ड व मौके की जांच के उपरान्त साबिक खसरा नं0 473 व 473/2 को वर्तमान खसरा नम्बरान क्रमशः 798 व 806 से मिलान करते हुए आवंटन नियमो की पालना करते हुए एक माह में आवंटित भूमि का रेकार्ड में बाद संतुष्टी अमल दरामद की कार्यवाही करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को सरेईजलास सुनाया गया ।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल